2025: CGHC: 53766–DB
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

दोषमुक्ति अपील क्रमांक 418 वर्ष 2010

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

----अपीलार्थी

विरुद्ध

1– रजनो, आत्मज आधार सिंह मरार, आयु 24 वर्ष, निवासी ग्राम बनियातोरा,
थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)

2– जगदीश, आत्मज अगिन सिंह मरार, आयु 25 वर्ष, निवासी ग्राम बनियातोरा,
थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)

3– आकरण, आत्मज अगिन सिंह मरार, आयु 26 वर्ष, निवासी ग्राम बनियातोरा,
थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)

4– रतन, आत्मज अगिन सिंह मरार, आयु 20 वर्ष, निवासी ग्राम बनियातोरा,
थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)

5– महेश उर्फ भुरू, आत्मज आधार सिंह मरार, आयु 21 वर्ष, निवासी ग्राम बनियातोरा,
थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)

6– आधार, आत्मज छोटू मरार, आयु 55 वर्ष, निवासी ग्राम बनियातोरा,
थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)

7– झनकलाल मरार, आत्मज जगदेव मरार, आयु 38 वर्ष, निवासी ग्राम बनियातोरा,
थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)

8– पीतांबर, आत्मज कन्हाई रावत, आयु 31 वर्ष, निवासी ग्राम बनियातोरा,
थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)

9– अगिन सिंह, आत्मज सिदाराम मरार, आयु 48 वर्ष, निवासी ग्राम बनियातोरा,
थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद (छ.ग.) (मृत एवं विलोपित)

10– खूबलाल, आत्मज जनकराम मरार, आयु 20 वर्ष, निवासी ग्राम बनियातोरा,
थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)

11– पीलाबाबू, आत्मज सुकालु रावत, आयु 38 वर्ष, निवासी ग्राम बनियातोरा,
थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)

12– कोंडाराम, आत्मज बहोराण गोंड, आयु 52 वर्ष, निवासी ग्राम बनियातोरा,
थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद (छ.ग.) (मृत एवं विलोपित)

----प्रत्यर्थीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

राज्य/अपीलार्थी की ओर से: श्री शशांक ठाकुर, उप महाधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 8, 10 एवं 11 की ओर से: श्री आदित्य धर दीवान, अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री बिभु दत्त गुरु, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

द्वारा: रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति

04/11/2025

1. दिनांक 29.10.2025 की कार्यालयीन टीप के अनुसार, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 8, 10 और 11 पर नोटिस पहले ही तामील किए जा चुके हैं तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 9 और 12 को जारी किए गए नोटिस इस टीप के साथ अतामील वापस प्राप्त हुए हैं कि उनका स्वर्गवास हो चुका है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 12, कोंडाराम को वर्तमान अपील में गलत तरीके से प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाया गया है, जबकि अपील के अधीन आक्षेपित निर्णय पारित होने से पूर्व ही उनका स्वर्गवास हो चुका था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. प्रकरण के उक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि प्रत्यर्थी क्रमांक 9 और 12 को जारी किए गए नोटिस इस टीप के साथ अतामील प्राप्त हुए हैं कि उनका स्वर्गवास हो चुका है, तथा इसके अतिरिक्त इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रत्यर्थी क्रमांक 12 कोंडाराम को वर्तमान अपील में गलत तरीके से प्रत्यर्थी बनाया गया है, जबकि अपील के अधीन आक्षेपित निर्णय पारित होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी; अतः जहाँ तक प्रत्यर्थी क्रमांक 9, अगिन सिंह और प्रत्यर्थी क्रमांक 12, कोंडाराम का संबंध है, यह अपील **उपशमित** मानकर खारिज की जाती है और उनके नाम पक्षकारों की सूची से विलोपित किए जाते हैं।

3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपील वर्ष 2010 की है, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से इसे अंतिम रूप से सुना गया।

4. हमने राज्य/अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री शशांक ठाकुर, तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 8, 10 और 11 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य धर दीवान को सुना।

5. यह दोषमुक्ति अपील राज्य/अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(1) के तहत द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, महासमुंद द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 295/1994 में पारित आक्षेपित दोषमुक्ति निर्णय दिनांक 19.09.1998 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों/प्रत्यर्थीगणों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 और 307/149 के तहत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया है, किंतु उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 452 और 323/149 के तहत दोषसिद्ध किया है तथा उन्हें क्रमशः 2 वर्ष का सश्रम कारावास, 2 वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक को 1000/– रुपये के जुर्माने से दंडादिष्ट किया है, जुर्माना अदा न करने की स्थिति में क्रमशः 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास और एक माह का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया है।

6. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बनिया टोरा निवासी रतन मरार, जो अभियुक्तों में से एक है और अभियुक्त अगिन सिंह (मृत) का पुत्र है, उस पर प्रेत बाधा का साया था। उसके लिए झाड़–फूंक की जा रही थी। दिनांक 04.02.1994 की रात्रि को झाड़–फूंक के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई थी। झाड़–फूंक के पश्चात, अभियुक्त रतन ने बताया कि अर्जुन और उसकी पत्नी टोनही (डायन) हैं, जिसके कारण उस पर प्रेत बाधा आई थी। इस विषय पर, मृतक अर्जुन को रात्रि में बैठक के लिए बुलाया गया था लेकिन वह नहीं गया। अगले दिन 05.02.1994 को सुबह लगभग 8 बजे, सभी अभियुक्त जो ग्राम बनिया टोरा के निवासी हैं और मृतक के रिश्तेदार हैं, हाथों में हथियार लेकर मृतक अर्जुन के घर की ओर गए। रास्ते में, वे मृतक अर्जुन की पत्नी से मिले और उसके साथ मारपीट की। घर के अंदर आने के बाद, मृतक अर्जुन का पुत्र मगन घर के अंदर मिला, जिससे उन्होंने मृतक अर्जुन के बारे में पूछताछ की। जब अर्जुन घर में नहीं मिला, तो उन्होंने घर के अंदर उसकी तलाश की और जब वे मगन की माँ और उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे थे, तभी मृतक अर्जुन वहाँ पहुँच गया और अभियुक्तों ने उसके साथ मारपीट की और उसे घसीटते हुए बगीचे में ले गए। अर्जुन के पिता, छोटू, अर्जुन को बचाने के प्रयास में ग्रामीणों के पास गए, लेकिन अभियुक्तों के डर से कोई भी उसे बचाने नहीं आया। अभियुक्तों ने अर्जुन को वहीं छोड़ दिया, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी और वे वहाँ से फरार हो गए। अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक अर्जुन के घर में मगन को घायल कर दिया और औतिन बाई की आँख पर भी वार किया जिससे उसकी आँख से खून बहने लगा और अर्जुन की पत्नी विश्वास बाई की भी लाठियों, डंडों और कुल्हाड़ियों से पिटाई की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उक्त तिथि को दोपहर 1:25 बजे बागबाहरा थाने में मगन द्वारा घटना की **सूचना** दी गई। अभियुक्तों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान, मृतक अर्जुन का **शव–परीक्षण** कराया गया। मगन, औतिन बाई और विश्वास बाई का भी चिकित्सकीय परीक्षण

किया गया। अभियुक्तों के कथनों के अनुसार उनके पास से हथियार जब्त किए गए। समस्त साक्ष्य एकत्रित करने के पश्चात, अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 147, 148, 149, 323, 452/34 के तहत क्षेत्रीय न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष जयराम का बयान दर्ज किया गया। इसे भी चालान के साथ प्रस्तुत किया गया था। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए एफ.एस.एल. (FSL) भेजा गया और वहां से रिपोर्ट प्राप्त हुई। विवेचना पूर्ण होने पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महासमुंद के न्यायालय के समक्ष आरोप–पत्र दायर किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, महासमुंद को उपार्पित कर दिया, जहाँ इसे सत्र प्रकरण क्रमांक 295/1994 के रूप में दर्ज किया गया और तत्पश्चात विधि के अनुसार विचारण हेतु द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, महासमुंद के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

8. अभियुक्तों/प्रत्यर्थीगणों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 302/149, 307/149, 323/149 और 452 के तहत **आरोप विरचित** किए गए, जिन्हें उन्हें पढ़कर सुनाया और समझाया गया। अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनके कथन दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया और झूठा फँसाए जाने का आरोप लगाया। अभियुक्तों ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अपराध सिद्ध करने हेतु, अभियोजन ने कुल 21 साक्षियों की परीक्षा की और 55 दस्तावेज़ों को प्रदर्शित किया। अभियुक्त–प्रत्यर्थीगणों ने अपने बचाव में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं की और न ही उनके प्रकरण के समर्थन में कोई दस्तावेज़ प्रदर्शित किया गया है।

10. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत, अपने निर्णय दिनांक 19.09.1998 द्वारा, अभियुक्तों/प्रत्यर्थीगणों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 और 307/149 के तहत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया, हालांकि, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 452 और 323/149 के तहत दोषसिद्ध किया और उन्हें क्रमशः 2 वर्ष का सश्रम कारावास, 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/– रुपये प्रत्येक के जुर्माने से दंडित किया, जुर्माने के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर, क्रमशः 3 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास और एक महीने का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया। अतः, यह दोषमुक्ति अपील प्रस्तुत है।

11. राज्य/अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री शशांक ठाकुर ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का निर्णय अवैध, अनुचित एवं त्रुटिपूर्ण है, अतः इसे अपास्त किया जाना न्यायोचित है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया है कि इस प्रकरण में, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

294 के तहत मृतक अर्जुन की **शव–परीक्षण रिपोर्ट** प्रस्तुत की थी और उसे अभियुक्त व्यक्ति द्वारा स्वीकार भी किया गया था, किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने उस पर विचार नहीं किया और अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के आरोपों से केवल इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि शव–परीक्षण करने वाले चिकित्सक की परीक्षा नहीं की गई थी, जो पूरी तरह से विधि के विरुद्ध है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने अभियोजन के वृत्तांत का समर्थन किया है, इसके बावजूद प्रत्यर्थीगणों को केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 452 और 323/149 के तहत ही दोषसिद्ध किया गया है, जो विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकरण के घायल साक्षियों ने उचित संदेह से परे अभियोजन के पक्ष का समर्थन किया है और उनके चिकित्सीय परीक्षण में गंभीर चोटें भी पाई गई हैं, फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थीगणों को केवल लघु अपराधों में दोषसिद्ध किया है। अतः, दोषमुक्ति को निरस्त कर अपील स्वीकार की जानी चाहिए और अभियुक्तों/प्रत्यर्थीगणों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 और 307/149 के तहत अपराध के लिए दंडित किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. दूसरी ओर, अभियुक्त–प्रत्यर्थीगणों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य धर दीवान ने यह तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित दोषमुक्ति निर्णय न्यायसंगत और उचित है, जो अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के सतर्क और उचित परिशीलन पर आधारित है, और इस न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर विचार किया है, जिसमें घायल प्रत्यक्षदर्शी मगन (अ.सा.–5), छोटूराम (अ.सा.–7), विश्वास बाई (अ.सा.–8) और जयराम (अ.सा.–12) की गवाही शामिल है, और सही रूप में यह माना है कि अभियोजन पक्ष आरोपों को उचित संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है, अतः प्रत्यर्थीगणों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 और 307/149 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। आक्षेपित निर्णय में ऐसी कोई **तर्कहीनता** या अवैधता नहीं है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

13. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, आक्षेपित दोषमुक्ति निर्णय और विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया।

14. विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने घायल प्रत्यक्षदर्शी मगन (अ.सा.–5), छोटूराम (अ.सा.–7), विश्वास बाई (अ.सा.–8) और जयराम (अ.सा.–12) की गवाही तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की उपस्थिति के बावजूद, केवल शव–परीक्षण करने वाले चिकित्सक की परीक्षा न होने के आधार पर प्रत्यर्थीगणों को सही ढंग से दोषमुक्त किया है, जबकि मृतक अर्जुन की शव–परीक्षण रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294

के तहत **प्रदर्श P–55** के रूप में प्रस्तुत की गई थी और अभियुक्त द्वारा उसे स्वीकार किया गया था।

15. यह अपील राज्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(1) के तहत दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है। अपीलीय न्यायालयों के लिए यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि विचारण न्यायालय को साक्षियों के **हाव–भाव** को देखने और न्यायालय में, विशेष रूप से साक्षी–कटघरे में उनके आचरण का अवलोकन करने का लाभ प्राप्त होता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उस स्तर पर भी अभियुक्त **संदेह के लाभ** का हकदार था। संदेह ऐसा होना चाहिए जिसे एक तर्कसंगत व्यक्ति अभियुक्त के दोष के संबंध में ईमानदारी और विवेकपूर्ण तरीके से महसूस करे।

16. उच्चतम न्यायालय ने **सी. एंटनी बनाम राघवन नायर**[1] के प्रकरण में यह निर्धारित किया है कि जब तक उच्च न्यायालय इस निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच जाता कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विधि के विपरीत हैं, तब तक वह पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण के आधार पर अपनी स्वयं की राय प्रतिस्थापित नहीं करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. **रामानंद यादव बनाम प्रभुनाथ झा**[2] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय को केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब ऐसा करने के लिए **बाध्यकारी और सारवान** कारण मौजूद हों। यदि आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से तर्कहीन है और प्रासंगिक एवं ठोस साक्ष्यों को प्रक्रिया में अनुचित रूप से त्याग दिया गया है, तो यह हस्तक्षेप के लिए एक बाध्यकारी कारण है।

18. दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप का दायरा सुस्थापित है। **तोटा सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य**[3] के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने पैरा 6 में निम्नानुसार व्यवस्था दी है:–

> "6.....मात्र यह तथ्य कि अपीलीय न्यायालय साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन पर उस निष्कर्ष से भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचने की ओर अग्रसर है, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश में दर्ज किया गया है, दोषमुक्ति को अपास्त करने का वैध और पर्याप्त आधार नहीं होगा। दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील से निपटने में अपीलीय न्यायालय की अधिकारिता इस सीमा से आबद्ध है कि दोषमुक्ति के आदेश में तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि प्रकरण में साक्ष्यों पर विचार करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाया गया

1 AIR 2003 SC 182
2 AIR 2004 SC 1053
3 AIR 1987 SC 1083

दृष्टिकोण किसी **प्रत्यक्ष अवैधता** से दूषित न हो या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष ऐसा न हो जिस पर कोई भी तर्कसंगत और विवेकपूर्ण न्यायालय नहीं पहुँच सकता था और इसलिए उसे **तर्कहीन** के रूप में लक्षित किया जा सकता हो। जहाँ प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों के मूल्यांकन पर दो दृष्टिकोण संभव हों और अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया हो जो तर्कसंगत हो, वहाँ अपीलीय न्यायालय कानूनी रूप से दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भले ही उसकी यह राय हो कि साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है।"

19. दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालयों या अपीलीय न्यायालयों को विचारण न्यायालय के निर्णय को उलटते समय पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन और **पुनर्मूल्यांकन** करने का पूर्ण अधिकार है। अपीलीय न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए आधारों पर चर्चा करे और फिर उन कारणों का खंडन करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों और विधिक प्रस्थापना के आलोक में, हमने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

21. अभियोजन के वृत्तांत के अनुसार, अभियुक्त रतन पर **प्रेत बाधा** का साया था, जिसके कारण ग्रामीण उसे झाड़–फूंक के माध्यम से प्रेत मुक्त करने के लिए एकत्र हुए थे। अभियोजन साक्षी कमलू के अनुसार, झाड़–फूंक परमानंद गंड और लालाराम पटेल द्वारा की गई थी और झाड़–फूंक में यह पाया गया कि अर्जुन और उसकी पुत्रवधू ने अभियुक्त रतन पर प्रेत बाधा डाली थी। यद्यपि अभियोजन साक्षी–9 गंजहा, साक्षी–10 चमरू और साक्षी–11 नन्हूराम ने अर्जुन और उसकी पुत्रवधू द्वारा अभियुक्त रतन को किसी दूत के माध्यम से पकड़ने के लिए **जादू–टोना** करने के संबंध में कोई बयान नहीं दिया है, परंतु अभियोजन साक्षी–7 छोटू राम, जो मृतक अर्जुन के पिता हैं, ने कहा है कि 05.02.1994 से पूर्व शुक्रवार की रात को अभियुक्त जगदीश और अभियुक्त महेश उन्हें बुलाने आए थे और उस समय, चूंकि वे बुखार से पीड़ित थे और वृद्ध थे, उन्होंने उनके साथ जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। इसके बाद, अभियुक्त आसकरण, जो मृतक अभियुक्त अगिन सिंह का पुत्र है, उन्हें बुलाने आया और कहा कि उनके गाँव के अन्य लोग भी आए हैं और करदुला गाँव के लोग भी आए हैं। वे उन्हें बुला रहे थे, लेकिन इस साक्षी ने वहाँ जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।

22. इस प्रकार, उपरोक्त साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त रतन की प्रेत बाधा दूर करने के लिए झाड़–फूंक करने हेतु घटना की तारीख से एक दिन पहले अभियुक्त अगिन सिंह के घर में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मृतक अर्जुन के पिता छोटू राम को भी बुलाया गया था, लेकिन वे बैठक में शामिल नहीं हुए थे।

23. अगले दिन, 05.02.1994 की घटना के संबंध में, अभियोजन ने अपने साक्षी के रूप में मगन (अ.सा.–5) का कथन दर्ज कराया। मगन (अ.सा.–5) ने कथन किया है कि वह भी अभियुक्तों को जानता है। वह अभियुक्तों के गाँव का ही निवासी है। मृतक अर्जुन उसके पिता थे। सुबह का समय था, वह अपने घर में था, तभी सबसे पहले अभियुक्त रजनो आया, जो अभियुक्त आधार का पुत्र और मृतक अर्जुन का भतीजा है। उसके बाद अभियुक्त जगदीश आया, जो मृतक अभियुक्त अगिन का पुत्र है, और उन्होंने पूछा कि क्या उसके परिवार के सभी सदस्य वहाँ हैं या नहीं; इस पर साक्षी मगन (अ.सा.–5) ने कहा कि वे सभी घर में हैं। इस पर अभियुक्त ने उसे लाठी से मारा जिससे वह चकित रह गया। अभियुक्त रजनो और जगदीश ने इस साक्षी से कहा कि वह दूध–दही खा ले, क्योंकि उसकी हत्या होने वाली है। इसके बाद, वहाँ और लोग आए, जिनमें अभियुक्त रजनो, जगदीश, रतन, महेश, झनकराम, आधार, आसकरण, पीलाबाबू, पीतांबर, अगिन, कोंडाराम और खूबलाल शामिल थे। इस साक्षी ने आगे बताया कि अभियुक्त रजनो के हाथ में पटाखे फोड़ने वाली लोहे की रॉड थी, जगदीश के हाथ में लोहे की रॉड थी, आसकरण के हाथ में भी रॉड थी, रतन के हाथ में लाठी थी, पीतांबर के हाथ में गाड़ी का हत्था था, महेश के हाथ में कुल्हाड़ी थी, पीलाबाबू के हाथ में लाठी थी और अन्य अभियुक्तों के हाथों में भी लाठियाँ थीं। पहले इन लोगों ने उसे और उसकी माँ को पीटा, उसके बाद अभियुक्तों ने उसकी पत्नी औतिनबाई को भी पीटा और उसके बाद उसने (अभियुक्तों ने) उसके छोटे भाई भेकचंद पर भी हमला किया। उस समय उसके पिता मृतक अर्जुन की बाड़ी (बगीचे) में थे, जो उसी समय वहाँ आ गए। इस साक्षी ने आगे बताया कि अभियुक्त रतन ने उसकी पत्नी की आँख में सुई चुभो दी थी। उसके पिता के आने के बाद, अभियुक्तों ने उन्हें पीटना छोड़ दिया और उसके पिता को पीटना शुरू कर दिया; उसके पिता ने अभियुक्तों से पूछा "वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? " इसी बीच अभियुक्त रजनो ने उसके पिता की गर्दन पर रॉड से वार किया जिससे वे गिर पड़े। उसके बाद, अभियुक्त जगदीश ने अभियुक्त महेश से कुल्हाड़ी छीन ली और उसके पिता के मुँह पर कुल्हाड़ी से वार किया जिससे उसके पिता का जबड़ा घायल हो गया; हालाँकि उसके पिता बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, फिर सभी अभियुक्तों ने उन्हें पीटा। उसके पिता को पीटते हुए वे उन्हें कुएं के पास ले गए और वहां रजनो और आसकरण ने उसके पिता की छाती पर लोहे की रॉड से वार किया। महेश ने हँसिये से उसके पिता की गर्दन पूरी तरह काट दी। महेश ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जगदीश से कुल्हाड़ी ली और उससे उसके पिता की गर्दन पर वार किया। सभी लोगों ने उसके पिता को कमर के नीचे, सिर पर काटा और लकड़ी की छड़ी से गोदकर उनकी हड्डियाँ तोड़ दीं। इस साक्षी ने यह भी बताया कि जब वह अपने पिता को बचाने जा रहा था, तो रजनो, जगदीश, आसकरण और रतन ने उससे कहा कि यदि उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो वे उसके टुकड़े–टुकड़े करके फेंक देंगे। उन्होंने कहा कि यदि उसने उनके विरुद्ध गवाही दी, तो वे अपनी सजा काटने के बाद उसके पूरे परिवार को मार डालेंगे।

24. मगन (अ.सा.–5) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तों का समूह, जो क्रमांक में पांच से अधिक थे, हथियारों से लैस होकर उसे पीटने के आशय और तैयारी के साथ उसके घर में एकत्र हुआ था और उनके हाथों में घातक हथियार थे। अ.सा.–7 छोटू राम, जो मृतक अर्जुन के पिता हैं और अभियुक्त आधार के भी पिता हैं, उसी घर में रहते थे। इस साक्षी ने भी बताया है कि शनिवार की सुबह, 05.02.1994 को अभियुक्त अपने हाथों में लाठी, कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड लेकर उसके घर आए और पूछा कि अर्जुन कहाँ है, उसे बाहर निकालो और मृतक अर्जुन की तलाश की। उस समय शिवराम, नैन सिंह, मणि और जूनू इस साक्षी के साथ थे, जिन्होंने इस साक्षी को अभियुक्तों से कुछ भी कहने से रोक दिया था। इस साक्षी ने अपने घर के आंगन में हथियारों के साथ पांच से अधिक लोगों की उपस्थिति का समर्थन किया है। चूँकि वे मृतक अर्जुन की हत्या की फिराक में थे, यह व्यवहार स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभियुक्तों का आशय आपराधिक था और वे अर्जुन की हत्या करने के इरादे से एकत्र हुए थे। अतः, यह संपूर्ण घटना **'विधि विरुद्ध जमाव'** की परिधि में आती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. अन्य साक्षी विश्वास बाई (अ.सा.–8) ने कथन किया है कि मृतक उसके पति थे। घटना के दिन, शनिवार की सुबह, जब वह नदी से पानी भर रही थी, तब अभियुक्त रजनो और अन्य लोगों ने उस पर हमला करने के लिए दौड़ लगाई और उन्होंने उसे लाठियों से पीटा, जिससे इस साक्षी के पैरों, कमर और कनपटी पर चोटें आईं।

26. उच्चतम न्यायालय ने **बालू सुदाम खालदे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य**[4] के प्रकरण में निम्नानुसार व्यवस्था दी है:

> "26. जब किसी घायल प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना हो, तो न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है:

4 2023 SCC OnLine SC 355

(a) घटना के समय और स्थान पर किसी घायल प्रत्यक्षदर्शी की उपस्थिति पर तब तक संदेह नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके **निक्षेप** में सारवान विरोधाभास न हों।

(b) जब तक साक्ष्य द्वारा अन्यथा स्थापित न हो, यह माना जाना चाहिए कि एक घायल साक्षी वास्तविक अपराधियों को बचने नहीं देगा और अभियुक्त को मिथ्या रूप से संलिप्त नहीं करेगा।

(c) घायल साक्षी के साक्ष्य का **साक्ष्य मूल्य** अधिक होता है और जब तक बाध्यकारी कारण मौजूद न हों, उनके कथनों को हल्के में नहीं त्यागा जाना चाहिए।

(d) स्वाभाविक आचरण में कुछ अलंकरण या मामूली विरोधाभासों के कारण घायल साक्षी के साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जा सकता।

(e) यदि घायल साक्षी के साक्ष्य में कोई अतिशयोक्ति या महत्वहीन अलंकरण हो, तो ऐसे विरोधाभास, अतिशयोक्ति या अलंकरण को साक्ष्य से पृथक कर दिया जाना चाहिए, न कि संपूर्ण साक्ष्य को।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(f) अभियोजन पक्ष के वृत्तांत के **मुख्य आधार** को ध्यान में रखा जाना चाहिए और समय बीतने के साथ स्मृति लोप के कारण सामान्यतः आने वाली विसंगतियों को त्याग दिया जाना चाहिए।

(बल दिया गया)"

27. वर्तमान प्रकरण में यद्यपि घायल साक्षी मगन (अ.सा.–5), छोटू राम (अ.सा.–7) और विश्वास बाई (अ.सा.–8) एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि अभियुक्त भी उसी परिवार के सदस्य हैं, अतः एक ही परिवार के सदस्य होने मात्र से साक्ष्य की **विश्वसनीयता** प्रभावित नहीं होती है।

28. साक्षी जयराम (अ.सा.–12) जो लकड़ी खरीदने के लिए छोटू (अ.सा.–7) के घर गया था। उस समय अर्जुन वहाँ नहीं था। अभियुक्त आधार वहाँ उपस्थित था, जिसने इस साक्षी को चाय दी। मगन की माँ एक पात्र में पानी लाई और पात्र को नीचे रख दिया। ठीक उसी क्षण अभियुक्त रजनो आया और उसने मगन की माँ के बाल पकड़ लिए, उसे अपने बेटे का ध्यान रखने को कहा और उसे पीटना शुरू कर दिया। जब रजनो लोहे की रॉड से मगन और उसकी माँ पर वार करने वाला था, तब वह (माँ) इस साक्षी के पास आई। उसी

समय सात–आठ व्यक्ति लाठियों और रॉड के साथ कॉलोनी से पहुँचे। उनमें अभियुक्त अगिन, अगिन का पुत्र, पीलाबाबू, कोंडा, पीतांबर, खूबलाल, जोकर उर्फ झनकाराम शामिल थे। रजनो और अभियुक्त आधार तथा आधार का दूसरा पुत्र भी उनके साथ सम्मिलित हो गए। अभियुक्तों के समूह ने अर्जुन की तलाश की और अभियुक्त अगिन ने कहा कि अर्जुन की पुत्रवधू पागल हो गई है, इसलिए उसकी आँखें फोड़ दो। इस पर, तीन से चार लोग अर्जुन के घर में घुस गए और अर्जुन की पुत्रवधू की आँख फोड़ दी। शेष लोग आँगन में खड़े थे। उसी क्षण अर्जुन वहाँ पहुँचा। अर्जुन को भी सब्बल, लाठी और कुल्हाड़ी से पीटा गया।

29. इस साक्षी जयराम (अ.सा.–12) द्वारा दिए गए कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त, अर्जुन की पुत्रवधू और उसके पुत्र को पीटने के आशय से छोटू के घर पर एकत्र हुए थे। हालाँकि, अपने बयान में अभियुक्तों के नाम निर्दिष्ट करने के बजाय, उनकी उपस्थिति उनके संबंधों के आधार पर बताई गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. साक्षी मगन (अ.सा.–5), छोटू राम (अ.सा.–7), विश्वास बाई (अ.सा.–8) और जयराम (अ.सा.–12) के साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक अर्जुन, मगन (अ.सा.–5) और उसकी पत्नी विश्वास बाई (अ.सा.–8) को पीटने के आशय से एक गिरोह बनाया था। उनके साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्तों के पास लकड़ी का डंडा, लाठी, लोहे की रॉड और कुल्हाड़ी थी, जो कि घातक हथियार हैं। इस संबंध में विवेचना अधिकारी अजित चौबे (अ.सा.–20) ने कथन किया है कि वह बागबाहरा में थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ थे। उन्होंने घटना के संबंध में अभियुक्त रजनो से पूछताछ की थी और प्रदर्श पी–12 के माध्यम से उसके कब्जे से एक छोटी कुल्हाड़ी बरामद की गई थी। इसी प्रकार, इस साक्षी ने अभियुक्त महेश से प्रदर्श पी–14 के माध्यम से लोहे की रॉड और अभियुक्त जगदीश से प्रदर्श पी–18 के माध्यम से लकड़ी का एक पटरा जब्त किया था।

31. इसी प्रकार, साक्षी बोधन साहू (अ.सा.–18) ने कथन किया है कि उन्होंने अभियुक्त आसकरण से प्रदर्श पी–21 के माध्यम से लोहे की रॉड से सुसज्जित एक 'पटाखा फोड़ने वाला यंत्र' जब्त किया था। इस साक्षी ने अभियुक्त रजनो से प्रदर्श पी–24 के माध्यम से सब्बल के आकार की एक लोहे की रॉड जब्त की थी। अभियुक्त आधार सिंह से प्रदर्श पी–27 के माध्यम से बांस की एक लाठी जब्त की गई थी। विवेचना अधिकारी अजीत चौबे (अ.सा.–20) द्वारा की गई उपरोक्त जब्ती और साक्षी बोधन साहू (अ.सा.–18) द्वारा की गई जब्ती, पंच साक्षी बृजलाल

(अ.सा.–16) की उपस्थिति में की गई थी, जिसने अपने बयान में उपरोक्त बरामदगी को स्वीकार किया है।

32. इस स्तर पर, **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27** का उल्लेख करना उचित होगा, जो निम्नानुसार है: –

> "**27. अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी—**
> बशर्ते कि, जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता चलना बताया गया हो, तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी उस तथ्य से स्पष्टतः संबंधित है जिसका पता चला है, साबित की जा सकेगी।"

33. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 केवल तभी लागू होती है जब संस्वीकृति कथन स्पष्ट रूप से उस तथ्य से संबंधित हो जिसका इसके द्वारा पता चला है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. **असर मोहम्मद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[5] के प्रकरण में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में प्रयुक्त शब्द "तथ्य" के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि तथ्यों का स्वतः साक्ष्यकारी होना आवश्यक नहीं है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में परिकल्पित शब्द "तथ्य" केवल "वास्तविक भौतिक सामग्री वस्तु" तक ही सीमित नहीं है। यह आगे निर्धारित किया गया है कि तथ्य का पता चलना इस कारण से उत्पन्न होता है कि अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी ने किसी विशेष स्थान पर उसके अस्तित्व के बारे में सूचना देने वाले के ज्ञान या मानसिक चेतना को प्रदर्शित किया है और इसमें किसी वस्तु का पता चलना, वह स्थान जहाँ से वह प्रस्तुत की गई है और उसके अस्तित्व के बारे में अभियुक्त का ज्ञान सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय ने प्रिवी काउंसिल के **पुलुकुरी कोटय्या बनाम किंग एम्परर**[6] के प्रकरण में दिए गए निर्णय का अवलंब लेते हुए निम्नानुसार अवलोकन किया: –

> "13. यह एक सुस्थापित कानूनी स्थिति है कि तथ्यों का स्वतः साक्ष्यकारी होना आवश्यक नहीं है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में परिकल्पित शब्द 'तथ्य' केवल 'वास्तविक भौतिक सामग्री वस्तु' तक ही सीमित नहीं है। तथ्य का पता चलना इस कारण से उत्पन्न होता है कि अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी ने किसी विशेष स्थान पर उसके अस्तित्व के बारे में सूचना देने वाले के ज्ञान या मानसिक चेतना को

5 AIR 2018 SC 5264
6 AIR 1947 PC 67

प्रदर्शित किया है। इसमें किसी वस्तु का पता चलना, वह स्थान जहाँ से वह प्रस्तुत की गई है और उसके अस्तित्व के बारे में अभियुक्त का ज्ञान सम्मिलित है। **वसंत संपत दुपारे बनाम महाराष्ट्र राज्य**[7] के प्रकरण के प्रतिपादन, विशेष रूप से उसके पैराग्राफ 23 से 29 को संदर्भित करना उपयोगी होगा। वे इस प्रकार हैं:

'23. बरामदगी/पता चलने के कारकों को स्वीकार या अस्वीकार करते समय, कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रिवी काउंसिल ने **पुलुकुरी कोटय्या बनाम किंग एम्परर** (पूर्वोक्त) में इस प्रकार धारित किया है: (IA पृ. 77)

"... इस धारा के भीतर 'पता चले तथ्य' (fact discovered) को प्रस्तुत की गई 'वस्तु' (object produced) के समान मानना भ्रामक है; पता चले तथ्य में वह स्थान जहाँ से वस्तु प्रस्तुत की गई है और इस बारे में अभियुक्त का ज्ञान सम्मिलित है, और दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से इस तथ्य से संबंधित होनी चाहिए। प्रस्तुत की गई वस्तु के पिछले उपयोग या पिछले इतिहास के बारे में जानकारी, उस परिवेश में उसके पता चलने से संबंधित नहीं है जिसमें वह पाई गई है। अभिरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी कि 'मैं अपने घर की छत में छिपाई हुई कुल्हाड़ी पेश करूँगा' से कुल्हाड़ी का पता नहीं चलता; कुल्हाड़ियों का पता तो कई साल पहले चल गया था। इससे इस तथ्य का पता चलता है कि सूचना देने वाले के ज्ञान में उसके घर में एक कुल्हाड़ी छिपी हुई है, और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि कुल्हाड़ी का उपयोग अपराध करने में किया गया है, तो पता चला तथ्य अत्यंत प्रासंगिक है। लेकिन यदि कथन में ये शब्द जोड़ दिए जाएं कि 'जिससे मैंने A को मारा था', तो ये शब्द अग्राह्य हैं क्योंकि वे सूचना देने वाले के घर में कुल्हाड़ी के पता चलने से संबंधित नहीं हैं।

xxx xxx xxx"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. उच्चतम न्यायालय ने **पेरुमल राजा उर्फ पेरुमल बनाम राज्य, प्रतिनिधि: पुलिस निरीक्षक**[8] के प्रकरण में "अभिरक्षा" को परिभाषित किया है। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि साक्ष्य

7 (2015) 1 SCC 253
8 2024 SCC OnLine SC 12

अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रयुक्त शब्द "अभिरक्षा" का अर्थ केवल औपचारिक अभिरक्षा नहीं है। इसमें पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, अवरोध या यहाँ तक कि निगरानी भी सम्मिलित है। भले ही जानकारी देते समय अभियुक्त को औपचारिक रूप से गिरफ्तार न किया गया हो, फिर भी सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अभियुक्त को पुलिस की अभिरक्षा में माना जाना चाहिए।

36. उच्चतम न्यायालय ने **बॉबी बनाम केरल राज्य**[9] के प्रकरण में यह व्यवस्था दी है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में अंतर्निहित मूल अवधारणा "पश्चातवर्ती घटनाओं द्वारा संपुष्टि का सिद्धांत" है। यह सिद्धांत इस नियम पर आधारित है कि यदि किसी बंदी से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई तलाशी में किसी तथ्य का पता चलता है, तो ऐसी बरामदगी इस बात की गारंटी है कि बंदी द्वारा दी गई जानकारी सत्य है। वह जानकारी संस्वीकृति या गैर–दोषारोपणकारी प्रकृति की हो सकती है, लेकिन यदि इसके परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता चलता है, तो वह एक विश्वसनीय जानकारी बन जाती है। धारा 27 संस्वीकृति कथन के उपयोग पर रोक लगाती है, लेकिन यह तथ्य कि बरामदगी और जानकारी विश्वसनीय सिद्ध हुई है, एक **परिस्थितिजन्य साक्ष्य** होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के संबंध में विधिक सिद्धांत, जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त **'असर मोहम्मद'** और **'पेरुमल राजा'** के मामलों में स्पष्ट किया गया है, यहाँ पूरी तरह लागू होते हैं। अभियुक्त उन बयानों को देने के समय अभिरक्षा में या पुलिस की निगरानी में थे, जिनके कारण अभियोगात्मक वस्तुओं की बरामदगी हुई, जिससे यह बरामदगी प्रासंगिक और ग्राह्य हो जाती है।

38. यद्यपि वर्तमान प्रकरण में, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त–अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 452 और 323/149 के तहत दोषसिद्ध किया है और उन्हें क्रमशः 2 वर्ष का सश्रम कारावास, 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/– रुपये प्रत्येक के जुर्माने से दंडादिष्ट किया है, तथा जुर्माना न भरने की स्थिति में क्रमशः 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास और एक माह का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया है; तथापि, न्यायालय ने अभियुक्तों/प्रत्यर्थीगणों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 और 307/149 के तहत दंडनीय अपराध से केवल इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया है कि अभियोजन ने मृतक अर्जुन का शव–परीक्षण करने वाले डॉक्टर की परीक्षा नहीं की है। विचारण न्यायालय का यह मानना था कि भले ही शव–परीक्षण रिपोर्ट (**प्रदर्श पी–55**) को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन यह रिपोर्ट अपने आप में कोई (स्वतंत्र) दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह साक्ष्य की

9 2023 SCC OnLine SC 50

विषय–वस्तु को समूहित करके तैयार की गई एक रिपोर्ट है। भले ही इसकी सत्यता स्वीकार कर ली जाए, फिर भी अभियुक्त व्यक्ति इस रिपोर्ट या इस साक्ष्य पर प्रतिपरीक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के बयानों के परिशीलन से यह पाया कि अभियुक्तों द्वारा अर्जुन को पहुँचाई गई चोटों के विवरण में, उसकी मृत्यु से पूर्व की चोटों के संबंध में साक्षी मगन (अ.सा.–5) और छोटू राम (अ.सा.–7) के बयानों में भिन्नता है। अतः, अर्जुन को पहुँचाई गई चोटों और उसकी मृत्यु के कारण को सिद्ध करना आवश्यक है। इस प्रकार, चिकित्सीय साक्षी के अभाव में, प्रदर्श पी–55 का उपयोग संपोषक साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है, और इसकी अनुपस्थिति में, यह संदेह से परे स्पष्ट नहीं है कि मृतक के शरीर के किन हिस्सों पर अभियुक्तों द्वारा चोट पहुँचाई गई थी और उनके द्वारा किन हथियारों का उपयोग किया गया था जिससे अर्जुन की मृत्यु हुई।

39. शव–परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, मृतक अर्जुन के शव पर निम्नलिखित चोटें पाई गई हैं:

"(1) चेहरे पर निचली बाईं पलक के नीचे **अपघर्षण**, आकार 2.5 सेमी x 2 सेमी।

(2) बाएं गाल पर अपघर्षण, आकार 5 सेमी x 2 सेमी।

(3) निचले बाएं मैंडिबल (जबड़े) के साथ अपघर्षण, आकार 1.5 सेमी x 1 सेमी।

(4) दाहिनी भौंह पर **विवर्णता/गुमचोट**, आकार 2 सेमी x 0.5 सेमी।

(5) दाहिनी भौंह के ऊपर माथे पर विवर्णता, आकार 3 सेमी x 0.5 सेमी।

(6) चेहरे पर निचली दाहिनी पलक के ठीक नीचे विवर्णता, आकार 4 सेमी x 1.5 सेमी।

(7) दाहिने सबमैंडिबुलर क्षेत्र पर विवर्णता, आकार 6 सेमी x 1.5 सेमी।

(8) निचले दाहिने मैंडिबल की बॉडी के साथ **छिन्न घाव**, आकार 6.5 सेमी x 1 सेमी, गहराई हड्डी तक।

(9) खोपड़ी के दाहिने पैराइटल क्षेत्र के पिछले हिस्से पर छिन्न घाव, आकार 4.5 सेमी x 0.5 सेमी, गहराई हड्डी तक।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) छाती की अग्र सतह पर विवर्णता, जिसमें छाती का दाहिना और बायां हिस्सा शामिल है, आकार 19 सेमी × 20 सेमी। (कई विवर्णताएं एक–दूसरे में विलीन हो गई हैं)।

(11) उदर भित्ति के बाईं ओर विवर्णता, आकार 15 सेमी × 3 सेमी। निचली पसली के साथ तिरछी स्थित।

(12) उदर भित्ति के बाईं ओर विवर्णता, चोट क्रमांक 11 से 2 सेमी नीचे, आकार 10 सेमी × 4 सेमी।

(13) नाभि के नीचे निचली उदर भित्ति पर विवर्णता, आकार 10 सेमी × 5 सेमी।

(14) दाहिनी ओर उदर भित्ति पर विवर्णता, आकार (i) 15 सेमी × 2 सेमी (ii) 14 सेमी × 2 सेमी (iii) 8 सेमी × 2 सेमी, दिशा ऊपर की ओर और दाहिनी ओर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) बाईं जांघ की अग्र–मध्य सतह पर अपघर्षण, आकार (i) 9 सेमी × 0.5 सेमी, (ii) 12 सेमी × 0.5 सेमी, (iii) 8 सेमी × 0.5 सेमी, (iv) 3 सेमी × 0.5 सेमी, (v) 12 सेमी × 1 सेमी।

(16) बाईं जांघ के ऊपरी भाग पर **विदीर्ण घाव**, आकार 4 सेमी × 1.5 सेमी × 0.5 सेमी।

(17) बाएं वृषणकोश पर अपघर्षण, आकार 8 सेमी × 5 सेमी।

(18) लिंग की बाईं पार्श्व सतह पर अपघर्षण, आकार 7 सेमी × 3 सेमी।

(19) दाहिनी जांघ की अग्र–मध्य सतह पर अपघर्षण, आकार (i) 4 सेमी × 0.5 सेमी (ii) 5 सेमी × 0.2 सेमी (iii) 2 सेमी × 0.2 सेमी (iv) 5 सेमी × 0.2 सेमी।

(20) दाहिनी जांघ की अग्र–मध्य सतह पर विवर्णता, आकार (i) 3 सेमी × 1 सेमी (ii) 4 सेमी × 1 सेमी।

(21) दाहिनी अग्रबाहु की पिछली सतह के मध्य 1/3 भाग पर छिन्न घाव, आकार 2 सेमी × 1 सेमी, गहराई मांसपेशियों तक।

(22) कोहनी के जोड़ से 3 सेमी नीचे दाहिनी अग्रबाहु की पिछली सतह पर छिन्न घाव, आकार 2.5 सेमी × 1 सेमी, गहराई मांसपेशियों तक।

(23) दाहिनी कोहनी के जोड़ की पिछली सतह पर अपघर्षण, आकार 2 सेमी × 2 सेमी।

(24) बाईं कोहनी की पार्श्व सतह पर अपघर्षण, आकार 6 सेमी × 1.5 सेमी।

(25) बाईं कोहनी की पिछली सतह पर अपघर्षण, आकार (i) 2 सेमी × 2 सेमी (ii) 3 सेमी × 2 सेमी।

(26) दाहिने हाथ की पृष्ठीय सतह पर विवर्णता, आकार 7 सेमी × 5 सेमी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(27) दाहिने स्कैपुलर क्षेत्र पर विवर्णता, आकार (i) 6 सेमी × 2 सेमी (ii) 5 सेमी × 2 सेमी।

(28) बाएं स्कैपुलर क्षेत्र पर अपघर्षण, आकार 5 सेमी × 4 सेमी।"

40. अब प्रश्न यह उठता है कि क्या दोषमुक्ति केवल इस आधार पर दी जा सकती है कि जिस डॉक्टर ने मृतक के शव का शव–परीक्षण किया था, उसकी परीक्षा नहीं की गई है?

41. इस संबंध में सामान्य नियम यह है कि शव–परीक्षण प्रमाणपत्र, जो कि शव की जांच करने वाले डॉक्टर के पूर्व कथन वाला एक दस्तावेज है, का उपयोग केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 147 के तहत कथन की संपुष्टि करने या धारा 145 के तहत कथन का खंडन करने या साक्ष्य अधिनियम की धारा 159 के तहत उसकी स्मृति ताज़ा करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 का प्रावधान इस नियम का अपवाद है। यदि शव–परीक्षण करने वाले डॉक्टर की मृत्यु हो गई है या वह परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उसके द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(2) के तहत प्रासंगिक और **ग्राह्य** है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 यह प्रावधान करती है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यावसायिक कर्तव्य के निर्वहन में कोई लिखित या मौखिक कथन किया जाता है, जिसकी उपस्थिति बिना

किसी अत्यधिक विलंब के सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो वह सुसंगत है और साक्ष्य में ग्राह्य है। इसके अतिरिक्त, चूंकि कार्बन कॉपी एक ही समान प्रक्रिया द्वारा बनाई गई थी, इसलिए वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के स्पष्टीकरण 2 के अर्थ के भीतर **प्राथमिक साक्ष्य** थी। इसलिए, मेडिकल प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से ग्राह्य साक्ष्य है।

42. वर्तमान प्रकरण में, घायल प्रत्यक्षदर्शियों, अर्थात् मगन (अ.सा.–5), छोटू राम (अ.सा.–7) और विश्वास बाई (अ.सा.–8) के साक्ष्यों से यह सर्वथा स्पष्ट है कि रतन मरार, जो अभियुक्तों में से एक है और अभियुक्त अगिन सिंह (मृत) का पुत्र है, उस पर प्रेत बाधा का साया था। उसके लिए झाड़–फूंक की जा रही थी। दिनांक 04.02.1994 की रात्रि को झाड़–फूंक के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई थी। झाड़–फूंक के पश्चात, अभियुक्त रतन ने बताया कि अर्जुन और उसकी पत्नी टोनही (डायन) हैं, जिसके कारण उस पर प्रेत बाधा आई थी। इस विषय पर, मृतक अर्जुन को रात्रि में बैठक के लिए बुलाया गया था लेकिन वह नहीं गया। अगले दिन दिनांक 05.02.1994 को सुबह लगभग 8 बजे, अभियुक्तगण, जो क्रमांक में पाँच से अधिक थे, अर्जुन की हत्या करने के सामान्य आशय से **'विधि विरुद्ध जमाव'** बनाकर हथियारों से लैस होकर घायल और मृतक अर्जुन के घर पर एकत्र हुए। उनके हाथों में घातक हथियार थे और सभी अभियुक्त मृतक एवं घायल व्यक्तियों के रिश्तेदार हैं, जो सर्वप्रथम हथियारों के साथ मृतक अर्जुन के घर की ओर गए। रास्ते में, वे मृतक अर्जुन की पत्नी से मिले और उनके साथ मारपीट की। घर के अंदर आने के बाद, मृतक अर्जुन का पुत्र मगन (अ.सा.–5) घर के भीतर मिला, जिससे उन्होंने मृतक अर्जुन के बारे में पूछताछ की। जब अर्जुन घर में नहीं मिला, तो उन्होंने घर के अंदर उसकी तलाश की और जब वे मगन की माँ और उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे थे, तभी मृतक अर्जुन वहाँ पहुँच गया और अभियुक्तों ने उस पर हमला किया और उसे घसीटते हुए बगीचे में ले गए। अर्जुन के पिता, छोटू राम (अ.सा.–7), अर्जुन को बचाने के प्रयास में ग्रामीणों के पास गए, लेकिन अभियुक्तों के भय के कारण कोई भी उसे बचाने नहीं आया। अभियुक्तों ने अर्जुन को वहीं छोड़ दिया, जिसकी पूर्णतः मृत्यु हो चुकी थी और वे वहाँ से फरार हो गए। अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक अर्जुन के घर में घायल साक्षी मगन (अ.सा.–5) पर भी हमला किया और औतिन बाई की आँख पर भी प्रहार किया जिससे उसकी आँख से खून बहने लगा और साथ ही अर्जुन की पत्नी विश्वास बाई (अ.सा.–8) को भी लाठियों, रॉड और कुल्हाड़ियों से पीटा। इसके अतिरिक्त, यद्यपि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 के तहत मृतक अर्जुन का शव–परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी–55) प्रस्तुत किया था और जिसे अभियुक्त व्यक्ति द्वारा स्वीकार भी किया गया था, किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने उस पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार नहीं किया और अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के आरोपों से केवल इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि शव–परीक्षण करने वाले चिकित्सक की परीक्षा नहीं की गई थी, जो कि पूर्णतः विधि के विरुद्ध है।

43. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, घायल प्रत्यक्षदर्शियों मगन (अ.सा.–5), छोटू राम (अ.सा.–7), विश्वास बाई (अ.सा.–8) के बयानों के साथ–साथ शव–परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी–55) और फॉरेंसिक रिपोर्ट (जो प्रदर्शित नहीं है) जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों, जो जब्त की गई वस्तुओं पर मानव रक्त की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं, का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के उपरांत, हमारा यह मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थीगणों को दोषमुक्त करने में त्रुटि की है। घायल प्रत्यक्षदर्शी का साक्ष्य विश्वसनीय है और **'बालू सुदाम खालदे'** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के अनुरूप है।

44. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि यह घटना 05.02.1994 को हुई थी और तब से काफी समय बीत चुका है। तथापि, वर्तमान प्रकरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभियुक्तों/प्रत्यर्थीगणों के विरुद्ध ठोस विधिक साक्ष्य की उपस्थिति के बावजूद, विचारण न्यायालय ने, खेदजनक रूप से, अपने निष्कर्ष केवल **अनुमानों और अटकलों** पर आधारित किए हैं। विशेष रूप से, विचारण न्यायालय ने घायल साक्षियों मगन (अ.सा.–5), छोटू राम (अ.सा.–7) और विश्वास बाई (अ.सा.–8) के साक्ष्यों पर अविश्वास किया है, जिनका साक्ष्य अभिलेख पर सारवान और विश्वसनीय है, और अभियुक्तों/प्रत्यर्थीगणों को केवल उपरोक्त अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 452 और 323/149 के तहत दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया है तथा उन्हें धारा 302/149 और 307/149 के आरोपों से केवल इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि शव–परीक्षण करने वाले डॉक्टर की परीक्षा नहीं की गई थी, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 के तहत मृतक अर्जुन का शव–परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे प्रदर्श पी–55 के रूप में चिह्नित किया गया था और अभियुक्त व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया गया था। विचारण न्यायालय का ऐसा दृष्टिकोण एक **'तर्कहीन निष्कर्ष'** की कोटि में आता है, क्योंकि यह बिना किसी न्यायोचित आधार के अखंडनीय और विश्वसनीय साक्ष्यों की अवहेलना करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

45. पूर्वोक्त कारणों से, जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा **'सी. एंटनी'**, **'रामानंद यादव'** और **'तोटा सिंह'** (पूर्वोक्त) के मामलों में निर्धारित किया गया है, आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और जहाँ तक यह भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत अभियुक्तों की दोषमुक्ति से संबंधित है, इसे अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

46. परिणामतः, दोषमुक्ति अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, महासमुंद (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 295/1994 में पारित दोषमुक्ति के

आक्षेपित निर्णय दिनांक 19.09.1998 को, जहाँ तक यह भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 452 और 323/149 के तहत दोषसिद्धि और दंडादेश से संबंधित है, एतद्द्वारा पुष्ट किया जाता है; तथा जहाँ तक यह भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत अभियुक्तों की दोषमुक्ति से संबंधित है, उसे एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। मृतक अर्जुन की हत्या करने के लिए, अभियुक्तों/प्रत्यर्थीगणों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है और उन्हें **आजीवन सश्रम कारावास** तथा प्रत्येक को 1,000/– रुपये के जुर्माने से दंडादिष्ट किया जाता है, जुर्माना अदा न करने की स्थिति में, वे 2 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडनीय होंगे।

47. अभियुक्तों/प्रत्यर्थीगणों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश को भुगतने के लिए आज से एक माह की अवधि के भीतर द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, महासमुंद (छ.ग.) के समक्ष आत्मसमर्पण करें, ऐसा न करने पर, उन्हें इस न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के अनुपालन हेतु विचारण न्यायालय द्वारा अभिरक्षा में ले लिया जाएगा और इस न्यायालय को अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

48. आवश्यक जानकारी और अनुपालन हेतु इस निर्णय की एक प्रति और मूल अभिलेख तत्काल संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित किए जाएं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /–	सही /–
(बिभु दत्त गुरु)	(रमेश सिन्हा)
न्यायाधीश	मुख्य न्यायाधिपति

Head–Note

An accused cannot be acquitted solely on the ground that the Doctor, who has conducted the postmortem, has not been examined by the prosecution, whereas as per Section 32(2) of the Indian Evidence Act, the postmortem report is admissible even without examination of the Doctor coupled with other corroborative evidence which strongly supports the case of prosecution.

शीर्ष टिप्पणी

किसी अभियुक्त को केवल इस आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता कि अभियोजन द्वारा उस डॉक्टर का परीक्षण नहीं किया गया है जिसने शव–परीक्षण किया था, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(2) के अनुसार, डॉक्टर के परीक्षण के बिना भी, शव–परीक्षण प्रतिवेदन अन्य संपोषक साक्ष्यों के साथ, जो अभियोजन के प्रकरण का प्रबल समर्थन करते हों, ग्राह्य है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur